

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश घाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 88/2024
जीसीएमएस नं. 2024/85

दायर दिनांक 23.07.2024
निर्णय दिनांक 03.12.2025

उनवान

1. रमण पिता गोतम डामोर निवासी दाहला हिम्मतपुर तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर।

– अपीलाण्ट

बनाम

1. फूलशंकर पिता गोतमा डामोर निवासी दाहला हिम्मतपुर तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर।
2. सविता पत्नि फूलशंकर डामोर निवासी दाहला हिम्मतपुर तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर।
3. भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर।
4. पटवारी पटवार हल्का चितरी तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर।

– रेस्पोजेण्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

- उपस्थित –
1. श्री हितेन्द्र पटेल – अधिवक्ता अपीलाण्ट
 2. श्री सुन्दरलाल परमार – अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट सं. 1 व 2 की ओर से

–:निर्णय:–

दिनांक –03.12.2025

1 अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मौजा दाहला (हिम्मतपुर) तहसील गलियाकोट के खसरा नम्बर 865 रकबा 8 बीघा बिलानाम भूमि हाल रकबा 1.2980 हैक्टेयर जमीन स्थित है जिसमे से प्रार्थी 10 बिस्वा अर्थात् 0.0810 हैक्टेयर जमीन पर काबिज होकर उक्त जमीन पर प्रार्थी का पुराना मकान बना हुआ है।


दिनेश घाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 865 रकबा 8 बीघा बिलानाम भूमि मे से 15 बिस्वा अर्थात् 0.1215 हैक्टेयर भूमि पर प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत विपक्षीगण को दिनांक 26.11.2010 को आदेश क्रमांक 14/2010 के तहत 865/5995 रकबा 15 बिस्वा अर्थात् 0.1215 है. भूमि आवंटन कर नामान्तरण दर्ज किया गया। विपक्षीगण ने तथ्यों को छुपाकर तथा यह जानते हुये कि प्रार्थी जिस स्थान पर अपने परिवार सहित रह रहा है, उस पर कब्जा अपना बताकर मकान की जमीन को अपनी बताकर मिथ्या रूप से गलत तथ्यों के आधार पर जमीन का आवंटन करवा लिया है जो कि विधि विरुद्ध होने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी के उक्त भूमि पर मकान बने हुये है जिस पर विद्युत कनेक्शन भी प्रार्थी ने ले रखा है तथा विद्युत बिल के दस्तावेजात भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है तथा प्रार्थी उक्त जमीन पर काबिज है जिसकी लगान पेनल्टी की रसीदे भी विगत 10 वर्ष की प्रस्तुत की है।

विपक्षीगण को आवंटन बिना प्रार्थी की जानकारी के तथ्यों को छुपाकर विपक्षीगण के द्वारा आवंटन करवाया है। वादग्रस्त आराजी पर विपक्षीगण कभी काबिज नही रहे है तथा विपक्षी प्रार्थी का भाई है जिन्होने नाजायज रूप से गलत तथ्यों को आधार बनाकर प्रार्थी के कब्जे एवं मौके का वास्तविक भौतिक सत्यापन किये बिना उक्त जमीन का आवंटन करवाया है। आवंटन के नियम पांच से आठ का उल्लंघन किया गया है तथा विपक्षीगण का कभी भी भौतिक कब्जा नही रहा है। जिसकी रिपोर्ट भी पटवार हल्का से तलब कराई जावे जिससे की मौके की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके तथा उक्त भूमि पुराना कब्जा होने के आधार पर नियम 15 (4) के अंतर्गत प्रार्थी को नियमन किये जाने योग्य है। विपक्षीगण के द्वारा कपट एवं दुर्व्यपदेशन कर तथ्यों को छिपाकर आवंटन करवाया गया है। जिसे मौके की भौतिक एवं वर्तमान स्थिति एवं आवंटन के काल की वास्तविक स्थिति को तलब किया जाकर विपक्षीगण को आवंटन की गई जमीन का आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षीगण को आवंटित जमीन दिनांक 26.11.2010 को आदेश क्रमांक 14/2010 के तहत विपक्षीगण को 865/5995 रकबा 15 बिस्वा हाल रकबा 0.1213 हैक्टेयर भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

2. उपरोक्त अपील प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोजेण्ट की तलबी जरिये सम्मन जारी कर की गई। रेस्पोजेण्ट संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल परमार द्वारा वकालत नामा व जवाब दावा पेश किया।

3. रेस्पोजेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थी नं 1 व विपक्षी सं 1 सगे भाई है। जो गांव मोजा दाहेला (हिम्मतपुरा) पटवार हल्का चितरी तहसील गलियाकोट के

निवासी है। वादग्रस्त आराजी खसरा नं 865 रकबा 8 बीघा बिलानाम में से 15 बिस्वा अर्थात् 0.1215 हैक्टेयर भूमि पर प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत विपक्षीगण 1 व 2 को संयुक्त रूप से दिनांक 26.11.2010 को आदेश क्रमांक 14/2010 के तहत 865/5995 रकबा 15 बिस्वा अर्थात् 0.1225 का नामान्तरण दर्ज किया गया है। विपक्षीगण को नियमित रूप तथा कानूनी प्रावधानों के अनुसार भूमि काशत के लिये आवंटित हुई है। विपक्षी निरन्तर काशत कर कमा रहे हैं।

4. हमने अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी।


5. अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मौजा दाहला (हिम्मतपुर) तहसील गलियाकोट के खसरा नम्बर 865 रकबा 8 बीघा बिलानाम भूमि हाल रकबा 1.2980 हैक्टेयर जमीन स्थित है जिसमें से प्रार्थी 10 बिस्वा अर्थात् 0.0810 हैक्टेयर जमीन पर काबिज होकर उक्त जमीन पर प्रार्थी का पुराना मकान बना हुआ है।

वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 865 रकबा 8 बीघा बिलानाम भूमि में से 15 बिस्वा अर्थात् 0.1215 हैक्टेयर भूमि पर प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत विपक्षीगण को दिनांक 26.11.2010 को आदेश क्रमांक 14/2010 के तहत 865/5995 रकबा 15 बिस्वा अर्थात् 0.1215 है। भूमि आवंटन कर नामान्तरण दर्ज किया गया। विपक्षीगण ने तथ्यों को छुपाकर तथा यह जानते हुये कि प्रार्थी जिस स्थान पर अपने परिवार सहित रह रहा है, उस पर कब्जा अपना बताकर मकान की जमीन को अपनी बताकर मिथ्या रूप से गलत तथ्यों के आधार पर जमीन का आवंटन करवा लिया है जो कि विधि विरुद्ध होने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेंट अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी गांव मौजा दाहेला (हिम्मतपुरा) पटवार हल्का चितरी तहसील गलियाकोट के खसरा नं 865 रकबा 8 बीघा बिलानाम में से 15 बिस्वा अर्थात् 0.1215 हैक्टेयर भूमि पर प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत विपक्षीगण 1 व 2 को संयुक्त रूप से दिनांक 26.11.2010 को आदेश क्रमांक 14/2010 के तहत 865/5995 रकबा 15 बिस्वा अर्थात् 0.1225 का नामान्तरण दर्ज किया गया है। विपक्षीगण को नियमित रूप तथा कानूनी प्रावधानों के अनुसार भूमि काशत के लिये आवंटित हुई है। विपक्षी निरन्तर काशत कर कमा रहे हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।


दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, झुंगरपुर

7. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड/दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। आवंटी फूलशंकर पिता गोतमा डामोर एवं सविता पत्नि फूलशंकर को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल न. 22/10 दिनांक 26.11.2010 को मौजा दाहेला हिम्मतपुरा, तहसील गलियाकोट के खसरा नम्बर 865 रकबा 8 बीघा बिलानाम में से 15 बिस्वा अर्थात् 0.1215 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया। जिसका नया नम्बर 5995/865 है।

अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर विपक्षीगण का कब्जा काशत नहीं होना, अपीलाण्ट के मकानात बने होना, पटवारी से सॉठ गॉठ कर आवंटन करवाना, आवंटी द्वारा कपट व दुर्व्यपदेशन के आधार पर भूमि का आवंटन अकन किया है। इन आधार पर अपीलाण्ट आवंटी के आवंटन को निरस्त कराना चाहता है।

अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर स्वयं के मकान बने होने का कथन किया है। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार गलियाकोट की मौका/जॉच रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजी मौजा दाहेला उर्फ हिम्मतपुरा के आराजी न. 5995/865 रकबा 0.1213 हैं किस्म सुखी तृतीय खातेदार फूलशंकर पिता गौतमा, सविता पत्नि फूलशंकर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादग्रस्त भूमि पर मौके की वस्तुस्थिति अनुसार नामान्तरण पंजिका (पी-21) में उपलब्ध ट्रेस नक्शा के आधार पर रमण पिता गौतम डामोर का मकान मौजा दाहेला उर्फ हिम्मतपुरा के आराजी न. 5995/865 में स्थित हैं। अतः तहसीलदार की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आवंटित वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट रमण पिता गौतम डामोर का मकान बना हुआ है।

इसके साथ ही प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में पटवारी से सॉठ गॉठ, कपट एवं दुर्व्यपदेशन कर आवंटन करवाने का अंकन किया है। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये हैं जिनसे यह साबित होता हो कि आवंटी द्वारा पटवारी से सॉठ गॉठ कर आवंटन करवाया है।

तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजी में अपीलाण्ट का मकान निर्मित है। जबकि आवंटी द्वारा आवंटित आराजी में कब्जा काशत किया जाना होता है। अपीलाण्ट का मकान आवंटित आराजी में बनाया जाना यह साबित करता है कि सम्पूर्ण आवंटित आराजी पर आवंटी का कब्जा काशत नहीं रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त आवंटित आराजी के अपीलाण्ट के निर्मित मकान के हिस्से तक आवंटन खारिज किया जाकर शेष आवंटित आराजी आवंटी के खातेदार हक में रखा जाना न्यायोचित है।


दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- श्री दिनेश धाकड़ (आर.ए.एस.)

मु.नं. -88/2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) कृषि प्रयो. भूमि आवंटन नियम 1970

उनवान- रमण बनाम फूलशंकर

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट के निर्मित मकान के हिस्से तक आवंटन खारिज किया जाकर शेष आवंटित आराजी आवंटी के खातेदारी में रखी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(दिनेश धाकड़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर